Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

धन वाद सं.– 1/19 सी.आई.एस.क्र.– 1/19

आशा देवी बनाम जीवेश कुमार भारती

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04/04/25	वादी की ओर से वादी साक्षी आशा देवी का शपथपूर्ण मुख परीक्षण के साथ हाजिरी दी गई है तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.03.24 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से प्रतिवादी के द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति पृष्ठांकन की डायरी तथा विधिक सूचना की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना त्रुटिवश रह गया है। जिस कारण से उस पर प्रदर्श अंकित नहीं हो पाया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को ग्रहण कर प्रदर्श हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी के द्वारा वादी के उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति वक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा अपना वाद पत्र को पैरा–3 में रूपया प्राप्ति का पृष्ठांकन प्रतिवादी के द्वारा डायरी में किये जाने एवं पैरा–7 में विधिक सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसी दशा में वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी के उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः वादी को आवेदन को स्वीकृत कर उक्त दस्तावेज को ग्रहण कर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उभय पक्ष की सहमति से अभिलेख भोजनावकाश पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी	
पुनश्च 04/04/25	अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी साक्षी आशा देवी का पूर्व में दिनांक 08.12.21 को प्रति परीक्षण पूर्व हो चुका है। ऐसी दशा में साक्षी आशा देवी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र को पुनः मुख परीक्षण के रूप में ग्रहण कर वादी साक्षी 3 आशा देवी के शपथपूर्ण ब्यान के साथ संलग्न किया जाता है तथा साक्षी के पहचान पर डायरी पर रूपया प्राप्ति के पृष्ठांकन तथा दिनांक 13.02.19 एवं 18.01.19 के विधिक सूचना को क्रमशः प्रदर्श 2, 3, 3/ए अंकित किया जाता है तथा प्रतिवादी पक्ष के निवेदन पर उक्त साक्षी का पुनः प्रति परीक्षण आगामी तिथि के लिए स्थगित किया जाता है। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी	